

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

त उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्रीमती लक्ष्मी देवी सोसायटी बनाम श्रीराम जाट वगैरे

दमा 88 RT Act नं. 31/17 सन् 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	--

वकील वादी द्वारा वाटपत्र पत्र अन्तर्गत धारा 88 RT Act

विरुद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। वाटपत्र पत्र बाद जाँच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रवालीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

24-8-17 को पेश हो।

24-8-17

पत्रावली पेश हुई समय तक उपस्थित
नैतानी अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे
के कारण है/अन्य कारणाकार्य में व्यस्त है। अतः
पत्रावली सांबंधिक वाटपत्र 19-9-17
को पेश है

जज डिविजन ऑफिसर

9/9/17 पत्रावली पेश हुई। वकील का उपस्थित विपक्षीगण के
तामिल मा त नहीं। व 5-तपार वा मिल पत्रावली दि 10-9-17
को पेश हो।

10/10/17

पत्रावली पेश हुई। वकील आधिकारिक उपस्थित विपक्षीगण की तामिल
अदम मा त हुई। विपक्षी से। व 2 की मुद्दा लगभग 05 वर्ष पूर्व होय
अंकित किया है। इस प्रकार वाद मुलक व्यक्तियों के विरुद्ध
प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। वकील का वाद पत्र
अस्वीकार। पत्रावली वाद नारिखला रजिस्टर फेसल शुमार लेकर
नम्बर से काम किया जावे।